

धर्मपाल
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल



चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर - २०८ ००२
फोन : २५३३७६९ (कार्यालय)
पी०बी०एक्स० : (१०६)

सेवा में,

पत्रांक:सीएसयूपी-१९४४/बोर्ड-१३३/२००७-०८
दिनांक: अक्टूबर १७, २००७

- | | |
|--|---------|
| १. कुलपति, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर | अध्यक्ष |
| २. प्रमुख सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ | सदस्य |
| ३. प्रमुख सचिव कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ | सदस्य |
| ४. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ | सदस्य |
| ५. निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | सदस्य |
| ६. निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | सदस्य |
| ७. डा० मसऊद अली,
निदेशक भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर | सदस्य |
| ८. डा० रमेश यादव,
८ विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ | सदस्य |
| ९. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल,
१३३/१७२ पी, ट्रान्सपोर्ट नगर, सन्द्रल बैंक के सामने, कानपुर नगर-२०८०२३ | सदस्य |
| १०. श्री जय सिंह यादव,
सदस्य विधान परिषद, ६२-रायराम चरनदास रोड, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद | सदस्य |
| ११. डा० एस०एस० यादव,
ग्रा०-टोडरपुर, पो०-खेताबपुर वाया जखनिया, जिला-गाजीपुर | सदस्य |
| १२. श्रीमती उर्मिला राजपूत,
पूर्व विधायक, पल्ला गल्ला मंडी, फर्रुखाबाद | सदस्य |

महोदय,

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की १३३वीं बैठक दिनांक १०.१०.२००७ के कार्यवृत्त की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(धर्मपाल)

अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

प्रबन्ध मण्डल की १३३वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक १०.१०.२००७

सभास्थल - कुलपति महोदय का समिति कक्ष

समय: १२:०० मध्याह्न

उपस्थिति :-

- | | |
|--|--|
| १. प्रो० (डा०) वी०के० सूरी,
कुलपति | अध्यक्ष |
| २. श्री मनोज कुमार,
आई०ए०एस०,
प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ | सदस्य |
| ३. श्री वाई०पी० सिंह,
अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन,
कानपुर मण्डल | सदस्य/ प्रमुख सचिव
वित्त के प्रतिनिधि |
| ५. डा० रूद्र प्रताप,
निदेशक, पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ | सदस्य |
| ६. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल,
१३३/१७२ पी,
ट्रान्सपोर्ट नगर, सेन्ट्रल बैंक के सामने,
कानपुर नगर - २०८ ०२३ | सदस्य |
| ७. श्री जय सिंह यादव,
सदस्य विधान परिषद, ६२ रायराम चरनदास रोड,
ममफोर्डगंज, इलाहाबाद | सदस्य |
| ८. डा० एस०एस० यादव,
ग्रा०-टोडरपुर, पो०-खेताबपुर, वाया-जखनिया,
धजला-गाजीपुर | सदस्य |
| ९. श्रीमती उर्मिला राजपूत,
पूर्व विधायक, पल्ला-गल्ला मंडी, फर्रुखाबाद | सदस्य |
| १०. श्री उमा शंकर शाक्य,
संयुक्त कृषि निदेशक, | सदस्य/निदेशक कृषि के
प्रतिनिधि |
| ११. श्री धर्मपाल,
अर्थ नियन्त्रक | सचिव |

मद संख्या १ : चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक २५.६.२००७ को सम्पन्न हुई १३२वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने १३२वीं बैठक दिनांक २५.०६.२००७ की कार्यवाही का अनुमोदन/पुष्टि कर दी।

मद संख्या २ : चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की १३२वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

प्रबन्ध मण्डल की १३२वीं बैठक दिनांक २५.०६.२००७ में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर प्रबन्ध मण्डल ने संतुष्टि व्यक्त की।

प्रबन्ध मण्डल ने कृत कार्यवाही पर विचार के समय समस्त प्रक्षेत्रों की बैलेन्स शीट के सम्बन्ध में समस्त प्रक्षेत्रों की अलग-अलग कार्य योजना तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट १५ दिन के अन्दर कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। यह कार्य योजना/प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगली प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाय तथा इसकी एक प्रति प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को भी भेजी जाय। प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिया कि जो प्रक्षेत्र घाटे में चल रहे हैं उनकी समीक्षा करते हुए नियन्त्रण अधिकारी एवं प्रक्षेत्र अधीक्षक के दायित्व का निर्धारण करते हुए यथोचित कार्यवाही कर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

प्रबन्ध मण्डल की १३२वीं बैठक के मद संख्या-१३ पर आवास विकास को दी जाने वाली भूमि की कीमत बाजार दर पर आवास विकास से लिये जाने का अनुमोदन किया तथा अगली बैठक में भूमि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिसमें भूमि का क्षेत्रफल, सडक की लम्बाई चौड़ाई एवं भूमि का मूल्य आदि सम्मिलित हों आदि के साथ-साथ अनुबन्ध किया जाय कि सडक की मरम्मत निरन्तर ६ माह के अन्तराल में आवास विकास द्वारा कराई जायेगी। अगली बैठक में आवास विकास के प्रतिनिधि को भी समस्त सूचनाओं के साथ बुलाया जाय।

प्रबन्ध मण्डल की १३२वीं बैठक के मद संख्या-१४ के सम्बन्ध में सह अधिष्ठाता/सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण को नियुक्त किये जाने का औचित्य, कार्य का दबाव (Work Load), छात्रों की संख्या आदि से अवगत कराया जाय साथ ही पद के साथ जो सुविधाएँ अनुमन्य हैं उनका मूल्य क्या है, की सूचना भी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।

मद संख्या ३ : वित्तीय वर्ष २००७-०८ के आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष के शेष आठ माहों के लिए व्यय की स्वीकृति।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या ४ : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा "Molecular Characterization and sequence diversity of tospoviruses associated with Fabaceous and solanaceous crops" शीर्षक नवीनतम परियोजना के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या ५ : राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगाँव, हरियाणा द्वारा "Integrated Development of Tree Borne Oilseeds" शीर्षक परियोजना के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या ६ : विश्वविद्यालय के शाकभाजी विज्ञान विभाग में सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल के पत्रांक १८-२(४)/०५ डीईबी दिनांक १६ जुलाई, २००७ के द्वारा सेन्द्रली स्पान्सर्ड स्कीम-नेशनल हार्टीकल्चर मिशन के अन्तर्गत वर्ष २००७-०८ में मसाला फसलों के विकास हेतु स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या ७ : इण्टर नेशनल पोटैश इन्स्टीट्यूट सेक्टर गुरगाँव द्वारा "Rationalization of Potassium Requirement of major Oilseeds and pulses in Central Plain Zone of Uttar Pradesh" नामक तदर्थ शोध योजना के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि भविष्य में जो भी योजनाएँ/परियोजनाएँ विश्वविद्यालय में चलाई जानी हों उनके सम्बन्ध में लक्ष्य एवं उपयोगिता सहित संक्षिप्त विवरण भी तैयार कर प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या ८ : इ० प्रदीप कुमार सिंह भदौरिया को बाबा साहब डा० बी०आर० अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में सृजित/रिक्त सहायक प्राध्यापक (फार्म बिल्डिंग एण्ड कान्सल्ट्रेशन) के पद वेतनमान रु० ८०००-१३५०० में अधिसूचना संख्या-३६१/सात-वि-१-०१ (क)१३-२००६ दिनांक ५.४.०६ की धारा-२६ (क) के प्राविधानानुसार नियमित नियुक्ति किये जानेके सम्बन्ध में विचार हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इनके सम्बन्ध में जो शिकायती पत्र महामहिम कुलाधिपति को भेजा गया है उसके सम्बन्ध में महामहिम कुलाधिपति के कार्यालय में क्या कार्यवाही की गई है तथा अधिसूचना संख्या-३६१/सात-वि-१-०१ (क)१३-२००६ दिनांक ५.४.०६ की तीनों शर्तों के साथ विवरण तैयार करके प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या ६ : श्री अनिल कुमार साहू, सह प्राध्यापक, सिविल इंजी०, डा० बी०आर० अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल की १३२वीं बैठक दिनांक २५.०६.२००७ (मद संख्या-१७) में लिये गये निर्णय पर श्री साहू के अनुरोध पत्र दिनांक ०८.०८.२००७ पर विचार किये जाने हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि श्री साहू को इस विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

मद संख्या १० : विश्वविद्यालय के निदेशालय कृषि प्रयोग केन्द्र एवं सस्य विज्ञान (आर०टी०टी०सी०) विभाग के अधीन कार्यरत कार्यरत कर्मचारी क्रमशः राम चन्द्र सिंह, मेट तथा श्री सन्तोष कुमार, लैब अटेन्डेण्ट द्वारा उपभोग किये गये उपार्जित/चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव में उल्लिखित अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए निर्देश दिया कि चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्यवाही कुलपति महोदय अपने स्तर से करेंगे।

मद संख्या ११ : उ० प्र० कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ द्वारा "Establishment of Model Nursery for fast multiplication of elite clones new varieties of Aonla and Guava" शीर्षक तदर्थ परियोजना के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या १२ : डा० निशी राय, विषय वस्तु विशेषज्ञ/ सह प्रशिक्षक (गृह विज्ञान) तथा डा०ए०के० चौहान, विषय वस्तु विशेषज्ञ/सह प्रशिक्षक (प्रसार), कृषि विज्ञान केन्द्र, भरारी, झांसी को प्रोन्नत पदनाम दिये जाने हेतु प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन हो जाने के उपरान्त भी निर्गत न होने की स्थिति में प्रश्नगत आदेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रकरण को अगली बैठक में सम्पूर्ण तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

मद संख्या १३ : विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक/समकक्षीय के पद हेतु सीधी भर्ती में विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्णित NET योग्यता को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या १४ :

याचिका संख्या-८३६(एस/बी)/६४ के शेष चार याचीगण एवं याचिका संख्या-११३१/ एसएस/०१ के अर्ह ५ याचीगणों की दिनांक ८.१.०१ से या शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने के दिनांक से याचिका संख्या-८३६(एस/बी)/६४ के ४७ याचीगणों की भाँति सहायक प्राध्यापक के पद पर समायोजित करते हुए वेतनमान रु० ८०००-१३५०० अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कराकर शासनादेश के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

मद संख्या १५ :

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-८ (ए) में अधिकारियों एवं प्राधिकारियों (Officers & authorities of the University) की श्रेणी में अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, अधिष्ठाता संकाय, निदेशक कृषि प्रयोग केन्द्र एवं निदेशक प्रसार (यू०जी०सी० वेतनमान के) सूचीबद्ध हैं, को शिक्षक/वैज्ञानिक की श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने विद्वत परिषद की संस्तुति को अनुमोदित किया।

मद संख्या १६ :

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा याचिका संख्या- ११३१(एस/बी) /०१ विनोद कुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य पर दिनांक १०.१२.०३ को दिये गये निर्णय के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या-१५१५/६७-कृ०शि०अ०-०५-३०(२२)/६४ दिनांक १५.६.०५ के सापेक्ष ६ याचीगणों में से ३ याचीगणों की प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता को शिथिल करते हुए शिक्षक घोषित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया।

मद संख्या १७ :

डा० अशोक कुमार, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जालौन की नियुक्ति सदस्य, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद के पद पर हो जाने के फलस्वरूप उनके धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या १८ :

सीमैप (केन्द्रीय औषधीय एवं संगन्धीय पौध संस्थान), लखनऊ तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मध्य संगन्धीय एवं औषधीय पौधों में तकनीकी विकास के आदान-प्रदान हेतु आपसी समझौता।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव को संज्ञान में लिया तथा प्रस्ताव पर प्रसन्नता व्यक्त की एवं कुलपति महोदय को धन्यवाद दिया।

मद संख्या १६ : शासनादेश संख्या-२६०/१२-८-२०००-४००(४३)/६६ए दिनांक ७.२.२००० द्वारा कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के प्रावधानों के अनुरूप प्रोन्नत शिक्षकों को देय तिथि से प्रोन्नत वेतनमान व पदनाम अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या २० : प्रगति आख्या (जुलाई, २००७ से सितम्बर, २००७ तक)
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल ने प्रगति आख्या का अनुमोदन कर दिया।

मद संख्या २१ : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अन्त में बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद उपरान्त समाप्त हो
गयी।

अनुमोदित

 17-10-07

{प्रो० (डा०) वी०के० सूरी}
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल



{धर्मपाल}
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल